

कानाराग पुत्र रामकरण अति जाट जमात तहसीलदार रोडाएसिंह

विशेष सुकामा नम्बर / दर / कमान / अतिजात नं. शम 589
 198 LR Met 2019

तारीख सुकाम	हुकम या कार्यवाही गव इतिवृत्त पत्र	नम्बर व तारीख आदेशों जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
26/12/19	<p>आधी जाट आदि पत्र तहसीलदार रोडाएसिंह के समक्ष केस कर विवेकन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ काली झूरी को जमाबंदी सम्बत 2072-75 खाता नं 19 में जैरा जाग काना पुत्र रामकरण दर्ज कर रखा है जबकि जैरा सही नाम कानाएम पुत्र रामकरण ही अन्त लिखि जैसी कानाएम पुत्र रामकरण ही है अतः रिनाई राजस्व में काना पुत्र रामकरण के कानाएम पुत्र रामकरण दर्ज रिकार्ड जाया जाये। जिस पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पत्र जारी ली गई। तथा प्रकरण 136 LR Met के तहत जांच कर अतिजात पत्र जारी किया। आदिना पत्र दर्ज रिकार्ड है।</p> <p>प्रकरण में आधी कानाएम पुत्र रामकरण तथा आधी के भाई अहलाद पुत्र रामकरण के कानाराग कलमबद्ध किया गये।</p> <p>आदिना को पुत्र गण पत्रावली का अवलोकन किया। बहाल प्रामन किया। उक्त वादग्रस्त आधी ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ काली झूरी में स्थित होगा प्रस्तुत रिकार्ड से जांचिए कि उक्त खतौरी को आधी में काना पुत्र रामकरण दर्ज है जबकि आधी के कानाराग रिपोर्ट पत्र जारी एवं अतिजात तहसीलदार, परिनार राजस्व कार्ड, आधी कार्ड एवं कानाराग से जांचिए है कि काना पुत्र रामकरण ही नाम नहीं है बल्कि सही नाम कानाएम पुत्र रामकरण है। जो कि इनकी प्रमाण है। प्रकरण 136 LR Met के परिधि में आना पाया जाता है।</p> <p>अतः आधी पत्र आधी मुताबिक रिपोर्ट पत्र जारी एवं अतिजात तहसीलदार के अनुसार स्वीकार किया जाकर आदिनात वर्गित खतौरी नं. 19 जमाबंदी सम्बत 2072-75 वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ काली झूरी तहसील रोडाएसिंह में दर्ज खातेदार काना पुत्र रामकरण के स्थान पर कानाएम पुत्र रामकरण दर्ज रिकार्ड किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जो कि अंकन बदलकर रहेगे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु पालनार्थ तहसीलदार रोडाएसिंह को आदेश जारी हो। पत्रावली के तहत मुआंजा हेतु दर्ज सम्बत से प्रमाण हुकम आज दि 26/12/19 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>26/12/19</p> <p>कानाराग</p> <p>प्रमाण</p>

(शं. सुकाम सिंह नेगी)
 उपस्थित अधिकारी
 रोडाएसिंह